अज अदालत उपजिला कलेक्टर मुकाम करौली कैम्प महोली

रामधन/घीस्या बनाम राधे वगैरह

किस्म मुकदमा अपील नामान्तकरण सं. 421 दि. 3.2.81 नं0 4/17 9.6.17 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2017	
9/6/17	प्रार्थी रामधन पुत्र घीस्या जाति गुर्जर नि० महोली ने "न्याय आपके द्वार राजस्व कैम्प" महोली में एक प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ना०नंबर 421 3.2.81 में मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात मेरे भाई रामधन पुत्र घीस्या का नाम दर्ज होने से रह गया अतः मेरा नाम जोड़ा जाना आवश्यक है। इस पर प०ह० से ना०करण नं० 421 का अवलोकन किया गया जिसमें मृतक घीस्या पुत्र मूला की विरासत राधे, सुरज्या, रमेश, छोटे का नाम ना०करण दर्ज एवं ग्रामपंचायत द्वारा फैसल है। तत्पश्चात इस प्रा०पत्र को ही नामकरण की अपील मानकर दर्ज करवाया तथा तहसीलदार एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट ली गयी। रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि घीस्या पुत्र मूला की मृत्यु के पश्चात प्रार्थी रामधन/घीस्या, सुरजो D/o घीस्या एवं मगनी पत्नि घीस्या का नाम भी अंकित नहीं किया है। अतः ना०करण की अपील स्वीकार करते हुए प्रार्थी रामधन पुत्र घीस्या के साथ पुत्री सुरजो D/o घीस्या एवं पत्नि मगनी पत्नि घीस्या का नाम भी जोड़ने के आदेश जारी किये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	